

सुरक्षित भारत सरकार अनुग्रहीत अधिकारिक प्राईवेट बैंक

समस्या

1. विश्व मे । य भारत मे । रूपया का । नगद । लेन देन होने से । रूपया जिसके हाँथ मे हो । वही उसका । मालिक होता है ।
2. रूपया । नैतिक अनैतिक । चाहे जिस । रास्ते से आया हो । रूपया का । व्यक्ति किसी भी तरह । उपयोग कर सकता है ।
3. इस नियम के अनुसार । बैंकों को । बहुत नुकसान । उठाना पडता है ।
4. जैसे । बैंक लुटना । बैंक गबन । बैंक से चोरी । बैंक का कर्जा न वापस करना । बैंक लाकर से चोरी । बैंक कर्चारियों व्दारा हेरा फेरी । बैंक का कर्जा लेकर दिवालिया । हो जाना । बैंक । ए टी एम से चोरी । आदि
5. इन सब । चोरियों से । बैंको को बहुत । नुकसान उठाना पडता है ।
6. आज विश्व मे । नगद रूपया । नोट के चलन से । रूपया नोट से । कुछ भी । खरीदी कर सकने से । रूपया नोट से । कितना भी खरीदी कर सकने से । रूपया नोट को कैसे भी । खर्चा कर सकने की आजादी से । हमेशा । बहुत बडे बडे । भयंकर अपराध होते है ।
7. विश्व मे । य भारत मे । नगद रूपया नोट का चलन बन्द होकर । नगद रूपया नोट की जगह । कार्डों का चलन होने पर । विश्व की । य भारत की । बैंको की सभी समस्याओं का अन्त हो जायेगा ।
8. भारत सरकार के । राष्ट्रीय बैंक । प्रदेशिक बैंक । य क्षेत्रीय बैंक । सभी । एन कार्ड से । संचालित होंगे ।

जीसियो नियम से बैंक ब्याज के नियम

1. भारत सरकार के । ब्याज नियम के अनुसार । बैंक कर्जा । 1 हप्ता । 2 हप्ता । 1 महीन । 3 महीना । 6 महीना । 9 महीना । 12 महीना । 3 वर्ष । 6 वर्ष । 9 वर्ष । 12 वर्ष । 15 वर्ष के लिए य इससे अधिक वर्ष के लिए । ब्याज पर धन । किसी भी खाता धारक के । कार्ड मे ही देगी ।
2. बैंक । किसी भी प्रकार के । खाता धारकों के । कार्ड मे जमा धन को । अपने एकाउन्ट मे जमा करेगा ।
3. बैंक अपने एकाउन्ट से । किसी भी खाता धारक के । कार्ड मे ही धन भुगतान करेगा ।
4. किसी भी । कार्ड धारक व्यक्ति को । यदि धन की आवस्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । बैंक घन्टे । धन देने को तैयार है । 24
5. व्यक्ति । ब्याज के साथ । बैंक का कर्जा । बैंक के एकाउन्ट मे । कार्ड व्दारा वापस करेगा ।

6. व्यक्ति सिर्फ । बैंक से ही । धन ले सकता है ।
7. व्यक्ति । व्यक्ति से धन । नहीं ले सकता ।
8. कोई भी कार्ड धारक व्यक्ति । भारत के । किसी भी कोने से । किसी भी बैंक से । अपने । किसी भी कार्ड से । कर्जा धन । ले सकता है ।
9. कोई भी कार्ड धारक व्यक्ति । भारत के । किसी भी कोने से । किसी भी बैंक का कर्जा । अपने किसी भी कार्ड से । वापस कर सकता है ।
10. बैंक कर्जा लेने वाले । व्यक्ति के । कार्ड की आवक । जावक । बैंक । इंटरनेट द्वारा । कभी भी देख सकता है ।
11. किसी भी । कार्ड धारक व्यक्ति की । बैंक कर्जा वापसी की निश्चित । गारंटी होगी ।
12. बैंक को । कभी भी । बैंक धन नुकसान । नहीं उठाना पड़ेगा ।
13. जीसियो नियम । आ जाने से । बैंको को 0 नुकसान के साथ । सिर्फ कमाई करने का मौका मिलेगा ।

जीसियो नियम से बैंक धन की सुरक्षा

1. यदि । भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से लगातार । 6 महीने । य इससे अधिक । समय तक । बैंक से । किसी भी कार्ड द्वारा । बैंक कर्जा लेता है ।
2. और उसके । किसी भी कार्ड में । 6 महीने । य इससे अधिक समय तक । व्यक्ति की आवक । उसके किसी भी कार्ड में । जमा नहीं हो रही है ।
3. तो भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से । आग्रह करके । बैंक द्वारा । बैंक धन कर्जा । ब्याज सहित । वापस करने की अवधि । बैंक द्वारा बढ़वा सकता है ।
4. और यदि भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से । आग्रह करके । बैंक द्वारा । बैंक धन कर्जा । ब्याज सहित । वापस करने की अवधि । बैंक से नहीं बढ़वाता है । और व्यक्ति बैंक के सम्पर्क में भी । नहीं है ।
5. तो बैंक के । पुलिस शिकायत द्वारा । उस व्यक्ति को । जेल में डाला जायेगा ।
6. तब वह व्यक्ति । जेल में काम कमाई करके । बैंक का धन । ब्याज के साथ वापस करेगा ।
7. बैंक का धन ब्याज के साथ । वापस होने पर । व्यक्ति को । छोड़ दिया जायेगा ।
8. व्यक्ति जब तक । जेल में रहेगा । तब तक व्यक्ति के सभी कार्ड । पुलिस में जमा रहेंगे ।
9. जेल से बाहर निकलने पर । व्यक्ति को सभी कार्ड । पुलिस से मिल जायेंगे ।
10. इस विशेष परिस्थिती में । व्यक्ति के परिवार । य रिस्तेदार । चाहे तो । अपने किसी भी कार्ड द्वारा । बैंक का धन । ब्याज के साथ वापस करके । व्यक्ति को । जेल से बाहर । निकाल सकते हैं

11. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता के । किसी भी कार्ड व्दारा । सीधे सीधे बैंक के खाते मे । धन जमा नही होगा ।
12. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता के । किसी भी कार्ड का धन । व्यक्ति के कार्ड मे जमा होगा ।
13. व्यक्ति के कार्ड से । बैंक के खाते मे । ब्याज सहित धन जमा होगा ।
14. व्यक्ति को । मददगीर परिवार । य रिस्तेदारों का धन । जेल से । बाहर आकर । अपनी कमाई से । अपने किसी भी कार्ड व्दारा । मददगीर परिवार । य रिस्तेदारों का धन । ब्याज के साथ वापस करना होगा ।
15. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता । चांहे तो अपने । किसी भी कार्ड व्दारा
16. व्यक्ति को । जेल से बाहर निकालने मे । दिया गया ब्याज के साथ धन को । दान खाते मे डाल कर । व्यक्ति को कर्जा मुक्त कर सकता है ।

पी कार्ड धारक की सेवा निवृत्ती

1. पी कार्ड धारक । किसी भी नागरिक की । 60 वर्ष उपरान्त । सेवा निवृत्ती होगी ।

पी कार्ड धारक का बैंक कर्जा

2. पी कार्ड धारक किसी भी नागरिक का । यदि बैंक का कर्जा बाकी है ।
3. तो प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ वापस किया जायेगा ।

प्रथम बैंक का कर्जा चुकता

1. यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी कार्ड से । भारत मे । किसी भी बैंक का कर्जा बाकी है । तो पी कार्ड से । प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
2. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा बाकी रहता है । तो रायल्टी धन से । प्रथम प्रति माह बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
3. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा । बाकी रहता है । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से । मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे से । प्रथम बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
4. बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता होने के बाद । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । जो भारत सरकार के । एन कार्ड मे जमा होगी ।
5. उसके बाद बचे हुये धन को । पी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति । उपयोग कर सकता है ।
6. लेकिन पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । 5000 रु प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पर । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । जीवित रहने तक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । अधिकार होगा ।

7. और सेवा निवृत्त व्यक्ति के । मृत्यू पश्चात् । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
8. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यू पश्चात । रायल्टी बंद हो जायेगी । और रायल्टी धन बैंक को मिलना बंद हो जायेगा ।
9. और सेवा निवृत्त व्यक्ति का । पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।

भारत का धन

1. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक मे । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । किसी भी । कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । उस देश मे । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे । जमा करके । धन को किसी भी । कार्ड मे । अंकित कराना होगा ।
2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड मे । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड मे अंकित । जमा कराना होगा ।

जीसियो नियम से भारत सरकार अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी

1. भारत सरकार व्दारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के । कर्मचारियों को । सिर्फ पी कार्ड मिलेगा । पी कार्ड के अतिरिक्त । कोई भी अन्य कार्ड नहीं मिलेगा ।
2. भारत सरकार व्दारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के । कर्मचारियों को अन्य कार्ड नहीं मिलेंगे ।

3. सिर्फ सरकारी वकील को । पी कार्ड के अतरिक्त । ए कार्ड यानी अदालत कार्ड मिलेगा ।
4. भारत सरकार द्वारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक । कर्मचारियों के । पी कार्ड मे । बैंक संचालक के बी कार्ड के द्वारा । वेतन के अतरिक्त । कोई और धन । अंकित नहीं होगा ।
5. यदि भारत सरकार द्वारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी को । किसी भी शुभ प्रसंगो मे । कोई उपहार धन मिलता है । तो उपहार धन देने वाले के कार्ड से । कर्मचारी के । पी कार्ड मे अंकित होगा ।
6. भारत सरकार द्वारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी के पी कार्ड मे । वेतन । संचालक के बी कार्ड से । हर महीने + होगा । यानि आयेगा ।
7. भारत सरकार द्वारा । अनुग्रहीत अधिकारिक प्राइवेट बैंक के । कर्मचारी के । पी कार्ड मे । वेतन से ही । अपना । और अपने परिवार का । हित और भरण पोषण करेगें ।

जीसियो नियम बी कार्ड से

1. भारत सरकार के । अनुग्रहित अधिकारिक प्राइवेट सभी बैंक । बी कार्ड से संचालित होंगे ।

जीसियो नियम फार्मूला बी कार्ड ब्यापार कार्ड का प्रारूप

1. रूपया नोट का चलन बन्द होकर । रूपया नोट की जगह । बी कार्ड यानी । ब्यापार कार्ड का चलन होगा ।
2. बी कार्ड एक । इलेक्ट्रानिक डिवाइस होगा । जो आसानी से जेब रखा जा सके ।
3. बी कार्ड मे । ज्यादा मेमोरी डेटा होगा । शुरुवात कम से कम 100 जी बी से होगी । जरूरत पडने पर और बढ़ाई जायेगी ।
4. व्यापार करने वाले व्यक्ति के बी कार्ड मे । व्यापार के हिसाब से । जी बी बढ़ाई जायेंगी ।
5. बी कार्ड मे । वर्ष । महीना । दिन । घन्टा । मिनट । सेकेन्ड । अनवरत चालू रहेंगे ।
6. बी कार्ड मे एक कैमरा होगा । जो किसी वस्तु के खरीदी के समय । जरूरत पडने पर । फोटो ली जा सके ।
7. बी कार्ड । इंटरनेट द्वारा । संचालित होगा ।
8. हर बी कार्ड का । अलग अलग नं होगा । जैसा मोबाइल का होता है ।
9. हर बी कार्ड मे । बी कार्ड धारक का फोटो । डिस्प्ले पर रहेगा ।
10. बी कार्ड क्षेत्र के अनुसार । अलग अलग भाषाओं मे होंगे ।
11. बी कार्ड मे जमा हुई । कोई भी जानकारी अमिट होगी । उसे मिटाया नहीं जा सकता । उसमे डिलीट । य इरेजर । का कोई बटन नहीं होगा ।
12. बी कार्ड नस्ट होने पर भी । इंटरनेट पर । सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी ।

13. जो भारत सरकार के अधिकार में होगा । सरकार से आग्रह करके । दूसरा बी कार्ड बनाया जा सकता है ।
14. बी कार्ड में मोबाइल जैसा डिस्प्ले होगा । और मोबाइल जैसे बटन होंगे । जिसमें नागरिक अपनी जमा धनराशी चेक कर सकता है । अपनी पुरानी अन्य जानकारी पढ सकता है । संदेश भेज सकता है। संदेश पढ सकता है ।
15. बी कार्ड में । सिर्फ + धन का बटन होगा । - माइनस का बटन नहीं होगा ।
16. बी कार्ड बिना धन देने की वजह बताये । सिर्फ धन अंक । अंकित नहीं करेगा ।
17. व्यक्ति अपने बी कार्ड से । किसी भी कार्ड में । किसी भी कार्ड से बी कार्ड में धन । हस्तांतरण ट्रांसफर कर सकता है ।
18. बी कार्ड में सिर्फ । टेक्स अदा किया हुआ धन ही जमा होगा ।
19. बी कार्ड 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद बनेगा ।
20. व्यक्ति के । सभी कार्डों में । सभी कार्डों के नं । व मोबाइल नं । अंकित होना अनिवार्य है ।
21. ताकि व्यक्ति के कार्डों के । गुम हो जाने पर । आसानी से मिल सके ।

बी कार्ड से ब्यापार विशेषताएं

1. सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड द्वारा ही । खरीदा जा सकती हैं । और सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड द्वारा ही । बेची जा सकती हैं ।
2. एक ब्यापार के लिए । एक ही बी कार्ड होगा ।
3. अलग अलग ब्यापार के लिए । अलग अलग बी कार्ड होंगे ।
4. यदि किसी व्यापारी के । एक ही व्यापार की । भारत में । 500 शाखायें हैं । तो उस व्यापारी को । 500 य उससे अधिक । बी सम कार्ड मिलेंगे ।
5. जो एक एक शाखा अधिकारी को । एक एक बी सम कार्ड दिया जाएगा ।
6. जिससे शाखा अधिकारी । शाखा का संचालन करेगा । और लेन देन करेगा । जिसकी हर जानकारी बी कार्ड धारक को होगी ।
7. व्यापारी बी कार्ड से ही । सामान खरीदेगा । और बी कार्ड से ही सामान बेचेगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की